company diversified into other areas of the economy as well, with a focus on infrastructure and core sectors of the industry with an export potential.

(c) The total sanctions amounted to Rs. 197.58 crores as on November, 30, 1992 covering projects from power, telecommunication, tourism and other industrial sectors.

(d) No Sir.

(e) Does not arise.

Proposal to levy anti-dumping duty

4249. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to levy anti-dumping duty on imports of Poly Venyl Chloride (PVC);

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government are aware that such an anti-dumping duty will be detrimental to the small users of PVC; and

(d) what steps Government propose to take to protect the interests of small users of PVC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b). On a complaint received from the domestic industry about dumping of PVC resin into India, investigation concerning the same, as prescribed in the relevant rules, has been initiated by the Designated Authority, in the Ministry of Commerce.

(c) and (d). Rule 9 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1985 requires the Designated Authority to allow an interested party an opportunity to represent its views. Importers of PVC resin including small users of PVC have made their views known to the Designated Authority, in the course of anti-dumping investigation concerning import of PVC resin. A final decision in the matter is yet to be taken.

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों को दिये गये ऋण

4250. **श्री छोटू भाई पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक राज्य को वाणिज्य और कृषि के क्षेत्रों के लिये दिये गये ऋणों की वर्षवार धनराशि कितनी है; और

(ख) इन दोनों क्षेत्रों में माफ किये गये ऋणों का बैंकवार और वित्तीय संस्था-वार ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगे गये अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है । तथापि सितम्बर, 1989, मार्च 1990 तथा मार्च 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार कृषि और लघु उद्योग (एस एस आई) एककों के लिये वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों की राज्य वार बकाया राशि विवरण–I और II में दी गई है । इसी प्रकार, वर्ष 1988–89, 1989–90 और 1990–91 के लिये प्रत्येक राज्य मे उद्योगों को अखिल भारत वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित राशि विवरण–III में दी गई है । (नीचे देखिये)

(ख) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990, किसानों, कारीगरों और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों सहित पात्र उधारकर्ताओं को 10,000/– रुपये प्रति उधारकर्ता की सीमा तक ऋण राहत उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी । योजना के अन्तर्गत, माफ की गई राशि

7744.09 करोड़ रुपये थी। जहां तक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायतों और किये जाने वाले समझौतों का संबंध है, प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर इस पर निर्णय लिया जायेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान किसानों और उद्योगपतियों के बट्टे खाते डाले गये ऋणों को नीचे दिया गया है :--

(लाख रुपये)

विवरण	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया ऋण		
	1988-89	1989-90	1990-91
कृषि	1315.70	1455.66	714.20
उद्योग	2419.52	5956.62	7749.40

विवरण-I

सितम्बर 1989, मार्च 1990 और मार्च 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए राज्यवार बकाया अग्रिमों की राशि।

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सितम्बर 1989	मार्च 1990	मार्च 1991
1	2	3	4
हरियाणा	634	678	694
हिमाचल प्रदेश	71	95	80
जम्मू व कश्मीर	51	54	52
पंजाब	1046	1110	1204
राजस्थान	722	796	794
चंडीगढ़	187	198	201
दिल्ली	236	194	102
असम	131	133	132
मणिपुर	6	7	6
मेघालय	12	13	10
नागालैंड	18	20	19

1	2	3	4
त्रिपुरा	23	26	22
अरुणाचल प्रदेश	3	3	3
मिजोरम	2	2	2
सिक्किम	4	5	3
बिहार	690	752	788
उड़ीसा	359	391	355
पश्चिम बंगाल	592	673	628
अंडमान व निकोबार	2	3	2
मध्य प्रदेश	935	1037	1180
उत्तर प्रदेश	1466	1725	1901
गुजरात	787	832	887
महाराष्ट्र	1572	1715	1722
गोवा	33	38	54
दमन और दीव	1	1	0.9
दादरा व नागर हवेली	1	1	0.7
आंध्र प्रदेश	1927	2089	2146
कर्नाटक	1467	1530	1477
केरल	609	730	746
तमिलनाडु	1770	2043	2080
पांडिचेरी	30	33	30
लक्षद्वीप	0.4	0.3	0.3

विवरण–II

सितम्बर 1989, मार्च 1990 और मार्च 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के राज्यवार बकाया अग्रिम

(राशि करोड़ रु)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सितम्बर 1989	मार्च 1990	मार्च 1991
1	2	3	4
हरियाणा	411	472	537
हिमाचल प्रदेश	74	81	97

1	2	3	4
जम्मु व कश्मीर	96	103	119
पंजाब	824	949	1005
राजस्थान	373	417	457
चंडीगढ़	83	84	106
दिल्ली	1120	1279	1477
असम	139	147	166
मणिपुर	14	14	17
मेघालय	5	6	8
नागालैंड	13	15	16
त्रिपुरा	11	12	14
अरूणाचल प्रदेश	3	3	5
मिजोरम	3	3	4
सिक्किम	2	5	3
बिहार . .	443	496	568
उड़ीसा	224	235	277
पश्चिम बंगाल	1035	1107	1274
अंडमान और निकोबार . .	2	2	2
मध्य प्रदेश	583	686	712
उत्तर प्रदेश	1258	1426	1618
गुजरात	1051	1182	1328
महाराष्ट्र	2708	2903	3241
दमन और दीव	7	7	8
गोवा	58	59	68
दादरा और नागर हवेली . . .	3	2	2
आंध्र प्रदेश	903	949	1079
कर्नाटक	923	990	1080
केरल	572	535	594
तमिलनाडु	1672	1827	2029
पांडिचेरी	19	20	27
लक्षद्वीप	0.03	0.03	0.05

विवरण–III

वर्ष 1988–89, 1989–90 और 1990–91 के लिए उद्योगों को सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर और संवितरित राशि का राज्यवार विवरण

(राशि: करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर राशि			संवितरित राशि		
	1988–89	1989–90	1990–91	1988–89	1989–90	1990–91
आंध्र प्रदेश	1270.3	977.8	1501.4	823.2	660.1	945.9
अरूणाचल प्रदेश	0.8	1.0	4.0	0.4	0.9	1.4
असम	59.9	216.4	69.8	45.9	58.9	71.1
बिहार	211.6	367.3	195.7	151.7	198.8	109.9
गोवा	94.8	118.7	87.3	44.5	76.7	79.2
गुजरात	1757.6	1563.0	2523.7	1088.4	923.4	1375.9
हरियाणा	236.0	533.0	354.1	183.0	273.8	314.5
हिमाचल प्रदेश	127.0	154.3	325.4	75.1	90.3	74.3
जम्मू और काश्मीर	71.7	59.7	54.2	50.6	44.7	39.7

कर्नाटक	548.7	546.5	934.3	402.0	406.5	550.9
केरल	200.2	227.9	276.7	151.6	172.2	175.3
मध्य प्रदेश	846.8	628.8	1185.7	505.5	432.4	624.8
महाराष्ट्र	1943.0	3644.8	4438.3	1408.9	1877.6	2567.4
मणिपुर	12.9	12.2	2.6	3.5	8.8	4.8
मेघालय	14.7	10.1	5.7	11.7	11.2	7.7
मिजोरम	7.1	4.0	4.5	5.7	4.0	4.0
नागालैंड	9.3	3.0	2.9	5.3	4.2	5.7
उड़ीसा	396.9	370.7	307.2	214.5	174.4	292.5
पंजाब	469.5	365.7	455.3	268.3	359.6	355.4
राजस्थान	775.3	576.6	748.0	218.7	302.9	423.2
सिक्किम	3.4	8.0	1.0	1.7	2.5	3.6
तमिलनाडु	1151.8	1188.6	1332.0	697.2	833.7	938.3
त्रिपुरा	5.4	11.5	1.3	0	3.7	2.2
उत्तर प्रदेश	1562.6	1076.4	1324.2	858.6	705.9	853.3
पश्चिम बंगाल	427.2	611.2	609.5	424.5	396.7	417
संघ राज्य क्षेत्र	416.5	309.2	646.0	222.0	232.1	401.6